

प्रूप-2  
(देखिए नियम-24 (1))  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

सं0

तारीख.....

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा की शर्तें रजिस्ट्रेशन) अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (3) के तदधीन बनाये गए नियमों के अधीन, उपाबद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए मैसर्स..... को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है

- (1) डाक पता / अवस्थिति जहां नियोजक द्वारा भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण किया जाना हैं
- 2. नियोजक का नाम और पता जिसमें भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है।
- 3. स्थापन का नाम और स्थायी पता।
- 4. कार्य की प्रकृति जहां भवन निर्माण कर्मकार नियोजित है या नियोजित किए जाने हैं।
- 5. नियोजक द्वार किसी भी दिन नियोजित है या नियोजित किए जाने हैं।
- 6. कार्य के प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख।
- 7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियां।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के  
हस्ताक्षर मुद्रा के साथ

उपाबद्ध

उपरोक्त प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थातः—

- (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अस्थानातरणीय होगा:
- (ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापना में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी:
- (ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए संदत्त की गई फीस अपतिदेय होगी:
- (घ) भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजक द्वारा संदेय मजदूरी, ऐसे नियोजन के लिये जहां वह लागू है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन विहित दरों से कम नहीं होगी और जहां दरें किसी करार, समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई हैं। वहां इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी, और
- (ङ) नियोजक अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।